

## उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

**र्ट्ट** पीबीएक्स 0522—4151200

चि फैक्स 0522−2629284 ई मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रॉकः बैंकिंग/2023-24/एफ-13/323

देनाँक : 💍

<del>रितिग्बर</del>,

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, समस्त शाखायें, उ०प्र०।

विषयः रू० 2000.00 मूल्यवर्ग के बैंक नोट को प्रचलन से हटाये जाने की तिथि 07.10.2023 तक किये जाने के सम्बन्ध में।

बैंक कार्यालय के पत्र सं0-बैंकिंग/एफ-13/2023-24/93, दिनांक-19.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से रू० 2000.00 मूल्यवर्ग के नोटों को दिनांक--30. 09.2023 तक शाखा स्तर पर बदलने/जमा करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

अग्रेतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं0—DCM(Plg)N0.S-1288/10.27.00/2023-24, दिनांक—30.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से रू० 2000.00 मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने/जमा करने की समय सीमा दिनांक—07.10.2023 तक बढ़ा दी गयी है। उक्त तिथि के बाद रू० 2000.00 मूल्य वर्ग के नोट शाखा स्तर से न ही बदले जायेंगे और न ही ट्रांजैक्शन किया जायेगा तथा उक्त परिपत्र की सूचना शाखा के सूचना पट्ट/एटीएम स्थल (जिन शाखाओं मे एटीएम मशीनें लगी हैं) पर प्रदर्शित की जाये। रू० 2000.00 के जो नोट ग्राहकों से दिनांक—07.10.2023 तक प्राप्त होंगे उन्हें प्रत्येक दशा में दिनांक—13.10.2023 या उससे पहले करेन्सी चेस्ट में जमा करा दें, अन्यथा की स्थिति के शाखा प्रबन्धक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें। अग्रेतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने उक्त परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रू० 2000.00 के नोट लीगल टेण्डर रहेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्व निर्गत पत्र में दिये गये अन्य निर्देशों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत उक्त परिपन्नानुसार शाखा स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ) प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>—

प्रभारी (आईटी सेल) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त की सूचना बैंक की वेबसाईट पर ग्राहकों की जानकारी हेतु प्रदर्शित की जाय।

प्रबन्ध निदेशक





## **भारतीय रिज़र्व बैंक** RESERVE BANK OF INDIA



www.rbi.orq.in

RBI/2023-24/64 DCM(Plg) No. S-1288/10.27.00/2023-24

September 30, 2023

The Chairman / Managing Director / Chief Executive Officer All Banks

Madam / Dear Sir,

## ₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation – Review

A reference is invited to our <u>circulars DCM(Plg)No.S-236/10.27.00/2023-24 dated May 19, 2023</u> and <u>DCM(Plg)No.S-239/10.27.00/2023-24 dated May 22, 2023</u> on the subject.

- 2. Of the total value of ₹3.56 lakh crore of ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023, ₹3.42 lakh crore has been received back leaving only ₹0.14 lakh crore in circulation as at the close of business on September 29, 2023; thus, 96% of ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 has since been returned.
- 3. As the period specified for the withdrawal has come to an end, and based on a review, it has been decided to extend the current arrangement for deposit / exchange of ₹2000 banknotes until October 07, 2023. A Press Release in the matter has been issued. Banks shall continue to maintain daily data on deposit / exchange of ₹2000 banknotes in the format prescribed vide circular dated May 22, 2023 referred to above and submit the same to RBI.
- 4. With effect from **October 8, 2023, banks shall stop** accepting ₹2000 banknotes for credit to accounts or exchange to other denomination banknotes.
- 5. ₹2000 banknotes shall continue to be allowed to be presented at the 19 Regional Offices of RBI having Issue Departments (*RBI Issue offices*) for credit to the bank accounts in India or exchange as indicated in the Press Release.
- 6. All instructions issued under para 3A of our <u>circular DCM(Plg)No.S-236/10.27.00/2023-24 dated May 19, 2023</u> in the matter shall continue to remain in force. Banks shall also ensure that ₹2000 banknotes collected by their branches till October 07, 2023, are deposited at currency chests on or before October 13, 2023.
- 7. ₹2000 banknotes shall continue to be legal tender.

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर विल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 1379, मुंबई-400001(भारत) फोन: +91-22-2260 3000 / 4000; फ़ैक्स: +91-22-2266 2442; ई-मेल: caminadam@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Amar Building, Sir P. M. Road, Post Box No.1379, Mumbai – 400 001(India); Tel: +91-22-2260 3000 / 4000; Fax: +91-22-2266 2442; E-mail: <a href="mailto:cgmincdcm@rbi.org.in">cgmincdcm@rbi.org.in</a>



- 8. A copy of the Press Release may also be displayed in the banking hall, ATM kiosks, etc., for information of the customers / public.
- 9. You are requested to issue suitable instructions to the branches in this regard.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

Sd/-(Suman Ray) Chief General Manager in-Charge